17.4.26 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 6 नियम 17 सहपठित धारा 23 नियम 3(B) 151 C.P.C. पेश कर प्रार्थना-पत्र में मृत व्यक्तियों के विरुद्ध पेश कर दिया गया, जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रा.पत्र 212 RTA विड्रो कर पूर्व प्रार्थना-पत्र में मृतकों के नाम कलमजद कर उनके वारिसानों को पक्षकार बनाते हुए नया प्रार्थना-पत्र 212 RTA प्रस्तुत करने की स्वीकृति अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सहपठित धारा 23 नियम 3(B) व 151 C.P.C. दिये जाने के आदेश फरमाया जावे। प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी की पहचान श्री भगवान दत्त शर्मा Adv द्वारा की गई। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी आदेश 6 नियम 17 सहपठित धारा 23 नियम 3(B) व 151 C.P.C. स्वीकार किया जाना है तथा वर्तमान प्रार्थना-पत्र 212 RTA विड्रा करने पर खारिज किया जाना है तथा प्रार्थना-पत्र में मृतकों के नाम कलमजद कर उनके वारिसानों को पक्षकार बनाते हुए नया प्रार्थना-पत्र 212 RTA प्रस्तुत करने की स्वीकृति अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सहपठित धारा 23 नियम 3(B) व 151 C.P.C. दिये जाने आदेश [illegible] हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर [illegible]

आदेश [illegible] सुनाया गया।

R.pe

मुनीम

GCMS 2025/215

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:39 IST
Reason: SelfAttested